

प्रेस नोट

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के निर्देशन में दिनांक:- 23.10.2024 को जनपद में अपराधियों के विरुद्ध व अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण:-

- ❖ थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-02/23 धारा-406/506/120बी भा0द0वि0 से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त नरेन्द्र सिंह पुत्र मन्नीलाल निवासी जिनई थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना रूरा पुलिस द्वारा अ0सं0-475/13 धारा-323/325/504/506 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्त परशुराम पुत्र रामदास निवासी बनीपारा महाराज थाना रूरा जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना शिवली पुलिस द्वारा अ0सं0-293/24 धारा-140(1)/103(1)/238/3(5) बीएनएस व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.कन्हैया मिश्रा पुत्र शेष नारायण 2.नन्हा यादव उर्फ राजकुमार पुत्र रामआसरे निवासीगण जुगराजपुर विठूर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-शकील पुत्र जौहरी खान निवासी मोहल्ला ठाकुर पुरवा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात 2. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र मो0 इस्लाम निवासी मोहल्ला थाने के पीछे ग्राम थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा सार्वजनिक स्थान पर समूह बनाकर जुआ खेलने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 313/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।
- ❖ थाना बरौर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुखराम पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम प्रहलादपुर गुरुगांव थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के कब्जे से 01 अदद तमन्चा 315 बोर व 02 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा बरामद होने के सम्बन्ध में गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 61/24 धारा 3/25 Arms act पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद में शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु जनपद पुलिस द्वारा 26 व्यक्तियों के विरुद्ध थानावार क्रमशः जिसमें थाना अकबरपुर पुलिस द्वारा 03 व्यक्तियों, थाना रूरा पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों, थाना गजनेर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना मूसानगर पुलिस द्वारा 01 व्यक्ति, थाना राजपुर पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों, थाना बरौर पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों, थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा 05 व्यक्तियों तथा थाना शिवली पुलिस द्वारा 02 व्यक्तियों का धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान किया।